


उ.स. 3/2022

गीता 9/0 भग्ना 4/5 सत्यनारायण 5/0 भग्ना 6/0

22/10/2024

पत्रावली पेश हुई। बाकी आधीवक्ता उप.। प्राणी
आधीवक्ता द्वारा शवमान काश्तकारी आधिनियम
1955 की धारा 53, 54, 188 के अन्तर्गत प्रत्युत
मूल वाद दिनांक 17/02/2023 को नल प्रिय के
जाने से कार्याही समाप्त होने के सम्बन्ध में निर्देशन
किया गया। मूल वाद सं. 05/2022 online उरण
सं. 09/2022 के निर्धारित ही जाने से शवमान
काश्तकारी आधिनियम 1955 की धारा 212 के
अन्तर्गत प्रत्युत अस्माई निर्देशाज्ञा प्राणी पर
को खाश्च किया जात है। पत्रावली कौशल शुमार
होकर दार्जिल दफ्तर से तथा नम्बर से कम
ही।


22/10/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा